फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

समस्त ग्रामवासियान चिकारड़ा

बनाम

लक्ष्मण सिंह पिता दूलेसिंह राजपूत निवासी चिकारड़ा वगैरा

प्रकरण संख्या 25/2010 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.11.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष अनुपस्थित। रुक–रुक कर तीन बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण वर्ष 2010 से विचाराधीन होकर दिनांक 22.01.2021 से बहस की स्टेज पर लम्बित है। उभय पक्ष द्वारा बार–बार बहस हेतु अवसर लिए जा रहे हैं तथा पूर्व पेशी दिनांक 25.08.2022 पर भी अनुपस्थित रहने पर इन्हें न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर प्रकरण खारिज करने की कार्यवाही की जावेगी फिर भी उभय पक्ष आज भी उपस्थित नहीं हुए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	